5रु. 5रु. 5रु. 5रु. 5रु. 5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर

नि. 13862-PBR-15

प्रकरण क्रमांक /पी.वी.आर./15 निगरानी

1. देवीलाल पुत्र स्व. जगन्नाथ आयु 54 वर्ष व्यवसाय कृषि
2. पूरन पुत्र स्व. जगन्नाथ व्यवसाय कृषि
3. मोहनलाल पुत्र स्व. जगन्नाथ व्यवसाय कृषि

समस्त निवासीगण–ज्वालापुरा लक्ष्मीबाई कॉलानी ग्वालियर ....प्रार्थीगण

बनाम

1. दक्खो पाठक पत्नी स्व. महेशचंद्र पाठक
2. रोहित पुत्र महेशचंद्र पाठक
3. रवि उर्फ रितु
4. आरती
5. तृप्ति
6. सोनम

पुत्रीगण स्व. महेशचन्द्र पाठक
समस्त निवासीगण–ज्वालापुरा लक्ष्मीबाई कॉलानी ग्वालियर ....प्रतिप्रार्थीगण

दिनांक 28.11.15 को श्री एस. एन. शर्मा, अभि. द्वारा प्रस्तुत। 28.11.15

एस. एन. शर्मा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्ध पारित द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह तेहसीलदार ग्वालियर प्रकरण क्रं. 13/14-15/अ-12 आदेश दिनांक 09.11.15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3862–PBR / 15 — जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–12–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–1–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि की अनावेदिका कमांक 1 दक्खो भूमिस्वामी है, और उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है । संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत भूमिस्वामी को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वे प्रश्नाधीन भूमि के हितबद्ध पक्षकार हैं अथवा मेड़िया कृषक हैं । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	